

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज दुर्गाशिव / मीनामय A 09/2018</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>10/2/21</p>	<p>अनुमान 34। अधिवक्ता रेफरेंस नं० 2 की ओर ले ज. 58 मय म. 2018 का 05 मय के 21 तिसर, 58 के अधिवक्ता मीनामय की रिपोर्ट जाते ल. रि. है। पत्रावली वाले जज व अदालत आयुक्त दि. 24/2/21 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">AC Sojwal</p>	
<p>24/2/21</p>	<p>अनुमान 35। पत्रावली वाले जज व अदालत ल. मीनामय दि. 04/3/21 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">AC Sojwal</p>	
<p>04/03/21</p>	<p>वकालत उप० अधिवक्ता मय बादी ने प्रार्थना पत्र 023 R 2 C.R.C. का विकल्प वेश कर निवेदन किया कि अधिवक्ता इतनी सीमित व्यक्तियों के अभाव में आगे चलाना नहीं चलता है, इसलिए अधिवक्ता अपील प्रस्तुत करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए इतनी सीमित विधेय करना चाहे है। अतः वकील मय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के प्राथम्य पर अधिवक्ता मय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील प्रस्तुत द्वारा 15.12.2018 के अधिवक्ता अधिवक्ता अधिवक्ता की जाती है पर्यावली केवल प्रमाण के नम्बर ले कर है। बाद तक प्रील जाता याविल यमर / लेख्य भव जमा हो</p> <p style="text-align: right;">AC Sojwal</p>	